

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2021-22//

परिपत्र /महत्वपूर्ण
519 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(चरित्र पंजिका अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: 06 मई, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संख्या संवर्ग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी ।

कृपया वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक प्रविष्टियों हेतु जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2021-22// 103/ वाणिज्य कर, दिनांक 06-04-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-04 में अपेक्षित आंशिक संशोधन निम्नवत् किया जा रहा है:-

"प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय मन्तव्य ऑनलाइन अंकित करने उपरान्त ही प्रविष्टियां समीक्षक अधिकारी के लॉगिन पर अग्रसारित होगी तदनुपरान्त समीक्षक अधिकारी द्वारा अपना गोपनीय मन्तव्य दिए जाने उपरान्त ही प्रविष्टियां स्वीकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर अग्रसारित होगी ताकि प्रविष्टि स्पष्ट व बिना संशय के स्वीकर्ता अधिकारी से पूर्ण हो सकें। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी निर्धारित समयावधि क्रमशः दिनांक 31-07-2022, 31-08-22 एवं दिनांक 30-09-2022 तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु लागू होगी" तदनुसार वार्षिक परिपत्र सं0-103 दिनांक 06-04-2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए, परिपत्र के अन्य प्रस्तर यथावत् बने रहेंगे।

हस्ताक्षर

(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पू0प0 संख्या एवं दिनांक : _____ ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, कैम्प कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, उत्तर प्रदेश सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ एवं निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ ।
4. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ ।
5. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
6. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद ।
7. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।

कृपया फाइल रखें →

8/ संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं पोर्टल में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

mshe
06/05/2022

(सुधा वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

519
31/5/20